निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 99 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के माह 07/2017से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यवीर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/01/2019 से 17/01/2019 तक श्री ओम्कार , सहा0 महालेखाकार के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण (दिनांक 14/01/2019 से 17/01/2019 तक) में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री सत्यवीर सिंह ,लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.07.2017 से 13.07.2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2016से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद देहरादून के अंतर्गत लो0नि0वि0 खंडो द्वारा कराये गये मार्ग/सेतु/भवन निर्माण कार्यो का निरीक्षण/पर्यवेक्षण।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना`	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	111.48	111.48	-	-	-	-
2016-17	-	-	120.07	120.07	-	-	-	-
2017-18	-	-	134.18	134.18	-	-	-	-

2018-19 (up to 12/2018)	-	-	161.61	131.66	-	-	-	29.94

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	-	-		-

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

——सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन
——प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून
——मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून
—— अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
——अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर– 1 कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय LD की धनराशि रू0 42.94 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किया जाना तथा कार्य पर दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम की अवशेष धनराशि रू0 20.13 लाख एवं देय ब्याज रू0 7.79 लाख की वसूली लम्बित रहना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा–कार्लीगाड–सरोना मार्ग का किमी0 5 से 13 में सुधारीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 6062/ ।।।(2)/15–39(प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा लागत रू0 464.29 लाख की प्राप्त हुयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा पत्रांक : 493/9(224) Yata Level-1/2015 dated 10/03/2016 के माध्यम से लागत रू0 464.29 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 60/SE-9/16 Dated 29.03.2016 ठेकेदार–M/s Eralite Build Tech Pvt. के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 429.44 **लाख** एवं आगणित लागत रू0 446.18 **लाख** थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 29.03.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.09.2016 थी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 01/2019) में पाया गया किः अनुबन्ध के section-7 PCC-Clause GCC 46.1 के अनुसार 'The liquidated damages for the whole of the works are $(1/2000)^{th}$ of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand per day.

The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price. कार्य में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर LD लगाया जाना था। कार्य का निष्पादन लेखापरीक्षा तिथि (01/2019) तक पूर्ण नही किया गया था जबकि कार्य को दिनांक 18.09.2016 तक (अनुबन्ध के अनुसार समाप्ति की तिथि) पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था। समयवृद्धि प्रपत्र दिनांक 29.11.2016 के अनुसार कार्य के लिये दिनांक 08.04.

2017 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। इस प्रकार समयवृद्धि की उक्ततिथि 08.04. 2017 के पश्चात् लेखापरीक्षा तिथि तक (16.01.2019) कार्य पर कुल 648 दिनों का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये उक्त section-8 PCC-Clause GCC 46.1 के अनुसार LD की धनराशि रू0 4294376.00 देय थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिये थी परन्तु ठेकेदार के बिलों से कोई भी देय LD की धनराशि की वसूली नही की गयी थी जबकि आतिथि (01/2019) तक कार्य अपूर्ण था।

आगे जांच में पाया गया कि उक्त कार्य पर रू0 4178888.00 का मोबेलाइजेशन अग्रिम ब्याज सहित (with interest @ State Bank of India Prime Lending Rate applicable on the date of release of mobilization advance) दिया गया था, जिसमें से लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र रू0 2165569.00 की वसूली की गयी थी तथा मोबेलाइजेशन अग्रिम की धनराशि रू0 2013319.00 तथा उस पर देय ब्याज की वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी। जबकि अनुबन्ध के Section 6GCC 48.3 क्लाज के अनुसार 'The recovery of advance shall be completed when 90% of the work has been completed or prior to the expiry of original time for completion which ever is earlier.' कार्य पर दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम के सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कार्य समाप्ति की तिथि (28. 09.2016) तक ब्याज सहित कर ली जानी चाहिये थी। यह भी उल्लेखनीय है कि मोबेलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष दिये गये बैंक गारंटी की वैधता दिनांक 09.09.2018 तक ही थी तथापि बैंक गारंटी की वैधता की तिथि समाप्ति से पूर्व उक्त अग्रिम धनराशि की वसूली नही की गयी। मोबेलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली मात्र 4% की दर से की गयी थी जबकि अनुबन्ध के अनुसार interest @ State Bank of India Prime Lending Rate applicable on the date of release of mobilization advance. से किया जाना था।

मोबेलाइजेशन अग्रिम दिये जाने के समय (June-2016 एवं July-2016) लागू State Bank of India Prime Lending Rate @ 14.05% से लेखापरीक्षा अवधि (12/2018) तक कुल रू0 1008680.68 ब्याज देय होता था जिसमें से मात्र रू0 229933.00 की ब्याज वसूली की गयी थी। इस प्रकार देय ब्याज की धनराशि रू0 7.79 लाख (रू0 1008680.68–रू0 229933.00= रू0 778747.68) की वसूली लम्बित थी।

कार्य के प्रशासनिक स्वीकृति में प्राविधानित था कि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा, परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि से 27 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आतिथि तक debitable आधार पर न तो कार्य का निष्पादन कराया गया और न ही ठेकेदार के अनुबन्ध को निरस्त किया गया, जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य हेतु मात्र 6 माह की अवधि ही निर्धारित की गयी थी। इससे न केवल कार्य निष्पादन में बिलम्ब हो रहा है बल्कि कार्य समय से पूर्ण न होने से जन कल्याण भी प्रभावित हुआ।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि राज्य योजना में धनाभाव के कारण वर्ष 2017–18 में कार्य की प्रगति धीमी रही, जिस कारण ठेकेदार पर LD आरोपित करने की कार्यवाही नही की गयी। फरवरी 2018 में इस कार्य की स्वीकृति नाबार्ड योजना के अन्तर्गत होने के पश्चात् बजट की कमी दूर हुई। ठेकेदार द्वारा दरें बढ़ने के कारण कार्य करने से मना कर दिया। कार्य की धीमी प्रगति हेतु अधि0 अभि0 द्वारा सम्बन्धित फर्म को समय–समय पर नोटिस दिया गया तथा मोबेलाइजेशन अग्रिम के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ठेकेदार एवं बैंक को बैंक गारन्टी की अवधि बढ़ाने हेतु अधि0 अभि0 द्वारा नोटिस दिया गया है, ठेकेदार

द्वारा जिला न्यायालय माध्यम से अनुबन्ध के अन्तिमीकरण एवं बैंक गारन्टी जब्त करने पर कोर्ट से स्टे लिया गया, ठेकेदार कुछ बिन्दुओं के निराकरण हेतु आर्बिट्रेटर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। ईकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि कार्य निष्पादन हेतु मात्र 6 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी जिसे माह 09/2016 तक ही पूर्ण किया जाना था तथा कार्य पर मोबेलाइजेशन अग्रिम का भी भुगतान किया गया था। नाबार्ड में स्वीकृति के बाद भी आतिथि तक कार्य को पूर्ण नही किया जा सका है तथापि अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार ठेकेदार से न तो देय LD की धनराशि की वसूली की गयी और न ही दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम के सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कार्य समाप्ति की तिथि (28.09.2016) तक ब्याज सहित की गयी। कार्य समाप्ति की तिथि से 27 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आतिथि तक debitable आधार पर न तो कार्य का निष्पादन कराया गया और न ही ठेकेदार के अनुबन्ध को निरस्त किया गया जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है जिससे न केवल कार्य निष्पादन में बिलम्ब हो रहा है बल्कि कार्य समय से पूर्ण न होने से जनकल्याण भी प्रभावित हुआ।

अतः कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय LD की धनराशि रू0 42.94 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किये जाने एवं कार्य पर दिये गये मोबेलाइजेशन अग्रिम की अवशेष धनराशि रू0 20.13 लाख एवं देय ब्याज रू0 7.79 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर: 2 - विभागीय उदासीनता के कारण स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किया जाना एवं कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर (liquidated damages) अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण रु 39.09 लाख का लाभ दिया जाना ।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून मे राजपुर तिराहे से कैरवान गाँव तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 413.54 लाख की शासनादेश संख्या 199/III(2)/15-03 (प्रा०आ०)/2015 दिनांक:16.02.2015 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 413.54 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक 27.11.2015 को मुख्य अभियंता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स वी.के. अग्रवाल, देहरादून के साथ अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुबन्ध संख्या 02/SE. (9th)/ 2016-17 दिनांक 22.04.2016 को लागत रू 390.59 लाख का गठित किया। जिसके सापेक्ष माह 11/2018 की MPR के अनुसार रु 74.41 लाख का भुगतान किया जा चुका था। अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य दिनांक: 22.04.2016 को प्रारम्भ कर दिनांक: **21.04.2017 तक** पूर्ण किया जाना था। लेकिन प्रश्न गत कार्य खण्ड संबन्धित ठेकेदार द्वारा आतिथि तक पूर्ण नहीं किया गया था, न ही ठेकेदार को माह 04/2017 के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा कोई समय वृद्धि स्वीकृत की गयी । अनुबंध की शर्तानुसार G.C.C.1.1(V) & GCC 46.1 the liquidated damage for the whole of the work are (1/2000 th) of the initial contract price rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damage for the whole of the the works is 10% of the initial Contract Price.

उक्तानुसार ठेकेदार पर कुल रु 39.09 लाख * देरी के लिए अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन खंड द्वारा आतिथि तक कोई भी धनराशि आरोपित कर वसूली नहीं गयी थी। न ही ठेकेदार के विरुद कोई उचित कार्यवाही की गयी। जो कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि ठेकेदार द्वारा समय -समय पर समयवृद्धि हेतु आवेदन किया गया था। समयवृद्धि के लिए पर्याप्त कारण होने के कारण ठेकेदार पर आर्थिक दण्ड नही लगाया गया है।

खंड का उत्तर मान्य नही है क्योकि खण्ड द्वारा बार-बार लिखने के बावजूद भी अनुबंध गठन के 3 वर्ष बाद भी अतिथि तक ठेकेदार द्वारा केवल **40 प्रतिशत** कार्य ही पूर्ण किया गया था । वर्ष

2016 मे ठेकेदार द्वारा कई बार कार्य बन्द रखा गया। जिससे स्थानीय जनता को मार्ग का पूर्णत: लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था। माह 04/2017 के पश्चात ठेकेदार को कार्य हेतु सक्षम अधिकारी दावरा कोई समयवृद्धि स्वीकृत नही की गयी। न ही विभाग द्वारा ठेकेदार पर कोई ठोस कार्यवाही की गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि ठेकेदार एवं विभाग कार्य के प्रति कितने उदासीन है। जिससे प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के बावजूद, ठेकेदार को लाभ देने हेतु ही विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तानुसार कार्य मे देरी के लिए (liquidated damages) के रूप मे रु 39.09 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया। अतः स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किए जाने एवं कार्य मे देरी के लिए ठेकेदार पर (liquidated damages) अर्थदण्ड आरोपित कर, वसूल न करने के कारण ठेकेदार को रु 39.09 लाख का लाभ दिये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

***अनुबंध के अनुसार LD का प्रावधान=1/2000 per day अर्थात रु 19529.90 per day** (39059837.21*1/2000)

दिनांक 21.04.2017 के पश्चात दिनांक: 16.01.2019 तक कुल दिनो की संख्या= 635 दिन

कुल अर्थदण्ड (liquidated damages)= रु 12401486.50 (635*19529.90)

Limited the maximum amount of liquidated damage for the whole of the works is 10% of the initial Contract Price = **रु 3905983.72**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	17/2017-18	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

अभिलेखों का रखरखाव उचित तरीके से किया जा रहा था तथा लेखपरीक्षा को अभिलेख समय पर प्रस्तुत किये गये ।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, 9 वा वृत, लोक निर्माण विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों** का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख:
3. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्‌वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री आर.सी. अग्रवाल	अधीक्षण अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 9 वा वृत ,लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक खण्ड-II), कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा),उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - II